उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या 1040 /सी–1/सहमति (वायु) आदेश/ 2014 /2016 लखनऊ, दिनॉक– 20/9/16

विषय : मै0 जेपी ग्रीन्स विशटाउन, सेक्टर–128, 129, 131, 133, 134, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ : आवेदन संख्या– दिनॉक 19.07.2016

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति मै0 जेपी ग्रीन्स विशटाउन, सेक्टर–128, 129, 131, 133, 134, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 31/12/2017 की अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

पर्यावरण अभियन्ता(प्रभारी)
(वृत्त–1)

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्ते)

........2/–

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी सी – 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 1177/सी–1/सहमति/जल आदेश/299/2016 लखनऊ, दिनाँक 30/8/16

विषय : मै0 जेपी ग्रीन्स विशटाउन, सेक्टर–128, 129, 131, 133, 134, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या– दिनाँक :

1. जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 जेपी ग्रीन्स विशटाउन, सेक्टर–128, 129, 131, 133, 134, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके औद्योतिगक उत्प्रवाह को ई0टी0पी0 के माध्यम से सिंचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनाँक 31/12/2017 तक की अवधि के लिए मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा–27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

पर्यावरण अभियन्ता(प्रभारी)
(वृत्त–1)

अनुलग्नक : संलग्नक ।